न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
08/2022	15.02.2022	27.07.2023

उनवान

1. अशोक कुमार उम्र 41 वर्ष पुत्र श्री रोहिताश सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम खोहर तहसील बहरोड जिला अलवर राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. गुरुमुख पुत्र सुरेन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम भूपरोडा तहसील बहरोड जिला अलवर राज० । गीता पुत्री सुरेन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम भूपरोडा तहसील बहरोड
2. देवेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम भूपसेडा तहसील बहरोड जिला अलवर राज0।
3. बस्तीराम पुत्र मेहरचंद जाति अहीर निवासी ग्राम भूपसेड़ा तहसील बहरोड
4. रामफल पुत्र सुरेन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम भूपसेडा तहसील बहरोड
5. विधा देवी पत्नी सुरेन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम भूपसेडा तहसील बहरोड।
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, नीमराना जिला अलवर राज0
7. पी.एन.बी. शाखा गण्डाला तह0 बहरोड जरिये शाखा प्रबन्धक

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.ए.

प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकारः–

1. मिन प्रार्थी ग्राम खोहर तह० बहरोड का रहने वाला है तथा अप्रार्थी सं0 1 लगा. 6 ग्राम भूपसेडा तह0 बहरोड के रहने वाले है तथा अप्रार्थी सं0 7 राज्य सरकार का प्रतिनिधि अधिकारी है तथा अप्रार्थी सं0 8 वित्तीय संस्था बैंक है।
2. प्रार्थी के हिस्से व खातेदारी का खसरा नम्बर 764/1227 रकबा 1.00 है० वाके ग्राम खोहर तह0 बहरोड में स्थित है तथा उक्त खसरा नम्बर के तरफ पूर्व मे डोल से लगता हुआ अप्रार्थी सं. 1 लगा0 6 की खातेदारी का खसरा नम्बर 39 रकबा 0.55 है० वाके ग्राम खातीवास तह० नीमराना स्थित है। यानि मिन प्रार्थी के खसरा नम्बर 784 /1227 व खसरा नम्बर 39 के बीच की डोल ग्राम खोहर व खातीवास की शरहद है।

3. प्रार्थी के खसरा नम्बर 784/1227 के तरफ पूर्व मे लगता हुआ खसरा नम्बर 39 वाके ग्राम खातीवास स्थित है तथा उक्त खसरा नम्बर 39 के तरफ पूर्व मे लगता हुआ मिन प्रार्थी के हिस्से व खातेदारी का खसरा नम्बर 40 वाके खातीवास तह0 नीमराना स्थित है। इसलिए मिन प्रार्थी अपने खसरा नम्बर 784/1227 मे कृषि हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 39 की दक्षिणी डोल के सहारे सहारे पैदल या ट्रेक्टर आदि बाह जोत के लिए लाता ले जाता हूँ तथा यह रास्ता कदीम से 12 फुट चौडा तथा 155 फुट लम्बा इसी जगह से मौजूद है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नही है। मौके पर आज भी रास्ता मौजूद है। जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा मे लाल रंग से दर्शित किया गया है।

अधिकारी
अलवर)

4. मिन प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 39 की दक्षिणी डोल के सहारे सहारे अपने खेत खसरा नम्बर 784/1227 तक रास्ता दर्ज करवाने के लिए अप्रार्थीगण से मिला एवं उनको कहा कि आपके खेत खसरा नम्बर 39 की दक्षिण डोल के सहारे सहारे मै कदीम से अपने खेत खसरा नम्बर 784/1227 मे काश्त के लिए आता जाता हूँ व यही से साधन लाता ले जाता है इसलिए आप इसी जगह से 12 फुट चौडा रास्ता रिकार्ड मे दर्ज करवादो । जिसके बदले अगर आप जमीन लेना चाहो तो मै खसरा नम्बर 40 मे से जमीन देने के लिए तैयार हूँ अगर जमीन नही लेना चाहो तो नियमानुसार रूपये ले लो तो अप्रार्थीगण ने रास्ता मिन प्रार्थी को देने के लिए साफ इंकार कर दिया तो मिन प्रार्थी तहसीलदार साहब से मिला तो तहसीलदार साहब ने कहा कि राजस्व न्यायालय में धारा 251 (ए) आर०टी०ए० के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जा सकता है। इसलिए मिन प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया गया है।

5. प्रार्थी के खसरा नम्बर 764/1227 में कृषि हेतु आने जाने के लिए अप्रार्थी सं० 1 लगा. 6 की खातेदारी के खसरा नम्बर 30 की दक्षिणी डोल के सहारे सहारे 12 फुट चौडा तथा 155 फुट लम्बा कदीमी रास्ता के अलावा अन्य दूसरी जगह से कोई छोटा रास्ता नहीं है। मिन प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को उनके खसरा नम्बरान में से 12 फुट चौडा रास्ता कायम करने की ऐवज मे अप्रार्थीगण को जमीन के बदले मे अपने खसरा नम्बर 40 में से जमीन के बदले जमीन या रास्ता की भूमि के क्षेत्रफल की डी.एल.सी. रेट के मुताबिक कीमत अदा करने के लिए तैयार है। लेकिन अप्रार्थीगण इसके लिए तैयार नहीं है और मिन प्रार्थी की आराजी के कदीमी रास्ता को बन्द करना चाहते है। इसलिए मिन प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 (क) आर०टी०ए० के तहत उक्त वर्णित रास्ता को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के अधिकारी है। ऐसी सूरत मे प्रार्थी के खसरा नम्बर 40 वाके ग्राम खातीपुरा व 784 /1227 वाके ग्राम खोहर के बीच मे स्थित अप्रार्थी सं0 1 लगा. 6 की खातेदारी का खसरा नम्बर 39 रकबा 0.55 है० वाके ग्राम खातीवास तह० नीमराना के तरफ दक्षिण की डोल के सहारे सहारे 12 फुट चौडा व 155 फुट लम्बा रास्ता प्रार्थी के खसरा नम्बर 784/1227 वाके ग्राम खोहर तक रास्ता घोषित किया जावे तथा मौका पर अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 39 वाके खातीवास की दक्षिणी डोल के सहारे सहारे प्रार्थी के खसरा नम्बर 784/1227 तक 12 फुट चौड़ा रास्ता के क्षेत्रफल की पैमाईश तहसीलदार नीमराना से मंगवाई जाकर रास्ता का जितना क्षेत्रफल बने उसकी ऐवज मे अप्रार्थी संव 1 लगा0 6 को जमीन के बदले जमीन या डीएलसी रेट के मुताबिक नियमानुसार राशि दिलवाई जाकर एवं रास्ता की भूमि का अलग से बटा नम्बर कायम किया जाकर उसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाने की घोषणा फरमाई जाना न्याय संगत है।

6. मिन प्रार्थी की खातेदारी व हिस्से की आराजी ग्राम खोहर मे कृषि हेतु आने जाने के लिए रास्ता की मांग खसरा नम्बर 39 वाके ग्राम खातीवास तह० नीमराना मे स्थित है जिस रास्ता को रिकार्ड मे दर्ज करवाने बावत प्रार्थना पत्र धारा 251 (ए) आर.टी.ए. की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को है।

7. अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खसरा नम्बर 40 वाके ग्राम खातीवास व 784/1227 वाके ग्राम खोहर के बीच में स्थित अप्रार्थी सं० 1 लगा 6 की खातेदारी का खसरा नम्बर 39 रकबा 0.55 है0 वाके ग्राम खातीवास तह० नीमराना के तरफ दक्षिण की डोल के सहारे सहारे 12 फुट चौडा व 155 फुट लम्बा रास्ता प्रार्थी के खसरा नम्बर 784/1227 वाके

...कारी
...नदर)

ग्राम खोहर तक रास्ता घोषित किया जाये तथा मौका पर अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 39 वाके खातीवास की दक्षिणी डोल के सहारे सहारे प्रार्थी के खसरा नम्बर 784/1227 तक 12 फुट चौडा रास्ता के क्षेत्रफल की पैमाईश तहसीलदार नीमराना से मंगवाई जाकर रास्ता का जितना क्षेत्रफल बने उसकी ऐवज मे अप्रार्थी सं. 1 लगा० 6 को जमीन के बदले जमीन या डीएलसी रेट के मुताबिक नियमानुसार राशि दिलवाई जाकर एवं रास्ता की भूमि का अलग से बटा नम्बर कायम किया जाकर उसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाने की घोषणा फरमाई जावे तथा रास्ता के क्षेत्रफल की भूमि को बैंक के रहन से मुक्त समझा जाकर रास्ता का अंकन हाल राजस्व जमावन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे किया जाने का आदेश फरमाया जाने की कृपा करे।

8. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल अप्रार्थीगण न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुये उनके विरूद्व एकपक्षीय की गई तथा प्रा0पत्र की प्रति तहसीलदार,नीमराना को भिजवाई जा कर मौका रिपोर्ट तलब की गई। एंव पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थी नियत की गई।

9. तहसीलदार,नीमराना ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2023/2079 दिनांक 04.07.2023 के द्वारा मौका रिपोर्ट भिजवाई गई जिस मौका रिपोर्ट मे अंकित किया है कि ग्राम खातीवास मे आराजी ख0नं0 39/0.55, 40/0.54, राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है ख.नं. 41/0.31 किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। जो आराजी ख.नं. 40 से लगता हुआ है। प्रार्थी द्वारा ख.नं. 39 व 40 मे से रास्ता चाहने हेतु आवेदन किया है। आराजी ख.नं. 39/0.55 मे से 153.6 वर्ग मी0 (30.20*48) एंव ख.नं. 40/0.54 मे से 134.4 वर्ग मी0(3.20*42) रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि है ख.नं. 40 मे प्रार्थी अशोक कुमार पुत्र रोहताश हि. 1/8 मे राजस्व दर्ज है। प्रार्थी द्वारा ग्राम खोहर मे स्थित आराजी भूमि तक पहुच मार्ग हेतु रास्ता चाहा गया है जिससे संबंधति पटवारी हल्का से रिपोर्ट लिया जाना उचित है।अतः आराजी ख.नं.39 मे से 153.6 वर्ग मीटर रास्ते हेतु प्रस्तावित है जिसमे से शेष भूमि 5346.40 वर्ग मीटर व ख.नं. मे से 134.4 वर्ग मीटर रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि है जिस मे से शेष भूमि 5265.60 वर्ग मीटर है। नजरी नक्शा संलग्न है।

10. प्रार्थी ने साक्ष्य मे अशोक कुमार पुत्र रोहिताश का शपथ पत्र पी0डब्लू0 01, अनूपराज पुत्र फूलसिंह का शपथ पत्र पी0डब्लू0 02 पेश किये है। तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नक्शा विल्यू प्रिन्ट प्रदर्श 01, नकल जमाबंदी संवत 2074–77 प्रदर्श 02, 03, 04 पेश किये है।

11. वकील प्रार्थी की एकपक्षीय वहस सुनी गई, वकील प्रार्थी ने अपने प्रा0पत्र को दस्तावेजात एंव मौका रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने वहस पर मनन तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली मे प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

12. अतः आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खसरा नम्बर 40 वाके ग्राम खातीवास व 784/1227 वाके ग्राम खोहर के बीच में स्थित अप्रार्थी सं० 1 लगा 6 की खातेदारी का खसरा नम्बर 39 रकबा 0.55 है0 वाके ग्राम खातीवास तह० नीमराना के तरफ दक्षिण की

...धिकारी
...लवर)

की डोल तक तथा अप्रार्थीगण 1 लगा. 6 के खसरा नम्बर 39 वाके खातेदारान की दक्षिणी डोल के सहारे सहारे प्रार्थी के खसरा नम्बर 784/1227 की डोल तक 12 फुट चौड़ा व 155 फुट लम्बा (3.20X48) अर्थात 153.6 वर्ग मी0 लम्बा रास्ता कायम करने हेतु डीएलसी दर की दोगुनी राशि नियमानुसार जमा कराई जाकर गै0मु0 रास्ता की भूमि का अलग से बटा नम्बर कायम किया जाकर उसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तथा रास्ता के क्षेत्रफल की भूमि को बैंक के रहन से मुक्त समझा जाकर रास्ता का अंकन हाल राजस्व जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात, नक्शा लट्ठा मे किया जाने का आदेश दिया जाता है। प्रा0पत्र निर्णितशुमार हो कर दाखिल लेख मम्बार हो।निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार,नीमराना को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को मेरे द्वार टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

27/7/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलेक्टर,नीमराना